



बारां जागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारांप्रधान कार्यालय, नियर बस स्टेण्ड-बारां-325205 (राजस्थान)

क्रमांक-फा. (बानासखैकव.प्र.कार्या. / 2024-25 / केस-01 / खाता-405115 / शाखा-तेलफैवटी बारां / (अनुलग्नक-सी)

दिनांक-31.12.2024

चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री / नीलामी करने हेतु पूर्व स्थगित विक्रय की उदधोषणा/सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए परिशिष्ट 4 के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) का प्रावधान)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूरे मे दिनांक 30.11.2024 को जारी विक्रय की उद्दीपणाणा के तहत नीलामी कार्यवाही जो दिनांक-31.12.2024 को नियत तिथि, सम्भव स्थान पर की गई जिसमें घंटे कोहरे की वजह से विसी अन्य दिग्गज व्यापत द्वारा नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण पुनः उक्त तिथि की नीलामी कार्यवाही अंग्रेजित तिथि, स्थान, समय पर की जावेगी। जिसमें ऋणी/संपत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पांडेय पुत्र स्वामी रामाशीर पाण्डेय निवासी-प्लॉट नं 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां द्वारा बारां नागरिक सहकारी बैंक लिंग बारां की शाखा तेल फैक्ट्री एरीया बारां जिला-बारां राजस्थान से स०लिंग खाता 115 से ऋण ले रखा है। इनके जमानतदार/गारन्टर श्री देवकेशन नागर पुत्र श्री छोटुलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउटसिंग बोर्ड बारां, श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउटसिंग बोर्ड बारां है। इनके द्वारा बैंक का बकाया ऋण जमा नहीं करवाया गया, इस कारण इनकी बैंक में रहन अचल सम्पत्ति की विक्री के लिए नोटिस वित्तीय आरितयों के प्रतिमूलिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूलिकरण हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत चल/अचल आसितयों की विक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी विक्री, दिनांक-17.01.2025 को दिन के 12 बजे से साथ 04 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय बारां पर की जावेगी। यह नीलामी प्रतिमूलि हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 6(2) और 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आसितयों का प्रतिमूलिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूलि हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अधीन होगी। आम जनता और खास तौर पर उदारकर्ता/बकाकर्ता और गारन्टर को यह सुनान दी जाती है कि नीय वर्णित चल/अचल संपत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं,जिनका रचनात्मक/भौतिक कब्जा पंचगणों की उपस्थिति में बाहर नागरिक सहकारी बैंक द्वारा द्वारा सुरक्षित ऋणदाता/गारन्टर/पंचगणों के समक्ष ले लिया गया है, उनसे उल्लेखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए “जाहौं हैं, जैसा हैं” और जो हैं,जो कुछ भी हैं”,जिसके पास भी हैं” के आधार पर बेचा/सार्वजनिक बोती के द्वारा नीलामी करायेगा। उधारकर्ता/बंधकर्ता/गारन्टर /सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/ आरक्षित मूल्य/ सार्वजनिक नीलामी तिथि और समय, बयाना राशि और बोती वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है, के अनुसार की जावेगी। जो निम्नानुसार है तथा पि बोती समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्च चुका दिये जाने की रिस्ति में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा। नीलामी की शर्त बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेप्प के पास बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। एवं बैंक की बेबसाईट www.bnbsb.co.in में दिए लिंक पर भी देखें। आरक्षित मूल्य- 18.50 लाख रु.

क्र०	उदाहरणीय/बंधकरता की विधि को जाने वाली सम्पत्ति का विवरण संपत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय/कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (रु.) एवं आरक्षित मूल्य	गारन्टर/जमानदार का नाम एवं पता
01	क्र०/संपत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र रघु श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट न० 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारा जिला बारां राजस्थान की अचल सम्पत्ति पिन - 325205 माल कल्याणपुरा खसरा न० -280 मे प्लॉट सं-22 पर निर्मित मकान अवस्थित पुरानी नाकोडा कालोनी तेल फैक्ट्री बारासाईज $30 \times 42 = 1260$ वर्गफीट आवासीय संपत्ति जिसमे ग्राहण घर छ: कमरे,एक रसोई,पट्टी पोश, खुला चौक,जीना/सीढ़ियों एवं प्रथम तल पर तीन कमरे आर.सी.सी. खुली छत जिसका मोरगेज दिनांक-04.01.2018 को चारुसीराए- पूर्व-प्लॉट न०-23, पश्चिम- रास्ता , उत्तर- प्लॉट न०-21,दक्षिण-प्लॉट न०-35 दिनांक-30.11.2024 को पंचनामा अनुसार उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा	17.01.2025	12 बजे से सायः 04 बजे तक	बैंक प्रधान कार्यालय भवन नियर बस स्टेण्ड बारां पर	(01) बकाया राशि:- रु 0 1365442.43 दिनांक-31.12.24 को एवं व्याज 12 प्रतिशत् ता तारीख, वसूली खर्च 10 प्रतिशत् तथा अन्य वसूली योग्य खर्च अतिरिक्त (02) आरक्षित मूल्य:- 18.50 लाख रु०.	1.श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटुगाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो-9001229250 2.श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किंशुर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो-9784847111
02						

नीलामी की शर्तें :- जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।

- रजिस्ट्रेशन राशि 5000/- रुपये होगी, जो बैंक के प्रधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास दिनांक-16.01.2025 को दिन के 12 बजे से 17.01.2025 को दिन के 12 बजे तक नकद जमा कराया कर रखी ग्राहक कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
 - नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपरिथित होगे, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाल प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली से पूर्व रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रथम न्यूटम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होनी उसके बाद प्रति 1000/- रुपये के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढ़ती रहेगी।
 - नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होनी उसे बोली समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत राशि उसी दिन या 01 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी, उक्त समयावधि में राशि जमा नहीं होने पर जमा धरोहर राशि जब कर ली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
 - शेष बकाया नीलामी राशि 07 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय बारा में बैंक के प्रधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास जमा करनी होगी। 07 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत जमा राशि भी जब्त कर ली जावी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
 - यदि एकमात्र बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नहीं करता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड़ सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
 - नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्रधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
 - नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मायं होगा बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
 - यदि उक्ती द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया छठन राशि, व्याज, वसूली खर्च, एवं अन्य नीलामी से संबंधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सैविंग्स व्याज दर सहित वापस लोटा दी जावेगी।
 - चल एवं सम्पत्ति की नीलामी वित्तीय अस्तियों का प्रतिमूलिकरण और पुनर्निर्माण प्रतिमूलित हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अन्तर्गत की जावेगी।
 - मौके पर अवधित अचल सम्पत्ति भौतिक/प्रतिकात्मक कब्जा या रखनात्मक कब्जा "जहाँ है, जैसी है" और जो है, जो कुछ भी है, जिसके पास भी है के आधार पर यथारिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
 - उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया झ्यूज, एवं सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च केता को वहन करना होगा।
 - नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताकर्ता को होगा।
 - विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर प्रवारकर बोली लगावे।

हस्ताक्षर वोलीदाता—